न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – डिक्री 339 सन् 2016

पंजीयन दिनांक 08.09.2016

रमेश चन्द पिता जमनालाल जाति शर्मा निवासी एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. राधेश्याम पिता चतरभुज जाति शर्मा निवासी चारभुजा झालरबावडी तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा प्रकरण संख्या 31/2013 निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.06.2016

उपस्थित–
1. सत्यनारायण ईनाणी –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. खुमराज कुमावत –रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 2

निर्णय

दिनांक 31.05.2022

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय चतरभुज के खाते मे मौजा एकलिंगपुरा तहसील रावतभाटा के खाता सं. 139 मे आराजी नम्बर 376, 381, 382, 539, 540, 541, 542 कुल किता 7 कुल रकबा 5.28 हैक्टेयर स्थित है जिसके वर्तमान मे खातेदार लक्ष्मीनारायण राधेश्याम 2/3 व रमेश चन्द 1/3 खातेदार है। स्वर्गीय चतरभुज के उपरोक्त खाते की जमीन मौजा एकलिंगपुरा मे 2 अलग–अलग स्थान पर है। आराजी नम्बर 539, 540, 541, 542 को ब्राह्मणो का बडा कुंआ तथा आराजी नम्बर 376, 381 व 382 को लागोटी वाले खेत के नाम से जाना चाहता है। जमनालाल को धनसुख तिवारी निवासी मोहना वाले के गोद रखा था लेकिन बाद मे धनसुख तिवारी के पुत्र पैदा हो जाने से जमनालाल वापस एकलिंगपुरा रहने लग गया। धनसुख तिवारी ने मोहना की जमीन जमनालाल को दे दी तथा उनके जो पुत्र पैदा हुआ उसे उन्होने भवानीमण्डी की ज़मीन जायदाद दी है। स्वर्गीय चतरभुज के जीवनलाल मे लक्ष्मीनारायण अलग हो गया था तथा उन्होने अपने हिस्से की जमीन पर काश्त शुरू कर दी थी। शेष दोनो भाई राधेश्याम व जमनालाल संयुक्त रूप से खेती कर रहे थे। राधेश्याम व जमनालाल ने संयुक्त रूप से मौजा मोहना से तेजमल दशोरा से जमीन खरीदी थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

करीब 40 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट राधेश्याम व जमनालाल के बीच जमीन का बंटवाडा हो गया था। मौजा मोहना की जो जमीन राधेश्याम व जमनालाल ने संयुक्त रूप से खरीद की थी, जमनालाल को दे दी थी। क्योकि जमनालाल मौजा मोहना मे गोद चला गया था। तथा धनसुख तिवारी की पत्नि के नाम जो जमीन थी वह जमीन जमनालाल को मिली थी। इसलिये राधेश्याम व जमनालाल द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की गई जमीन भी दोनो भाईयो ने सहमति से जमनालाल को बंटवाडे मे दी थी। जमनालाल के पास की जमीन भी गोद पुत्र होने से मिली थी। दोनो जमीने पास-पास रह जाये इसलिये राधेश्याम व जमनालाल ने बंटवाडे मे यह जमीन जमनालाल को दे दी थी। लागोटी वाला खेत अकेले राधेश्याम के रहा इस प्रकार लागोटी वाले खेत मे राधेश्याम का 2/3 हिस्सा व लक्ष्मीनारायण का 1/3 हिस्सा रहा। इसी अनुरूप लागोटी वाले खेत पर 40 वर्षो से राधेश्याम 2/3 लक्ष्मीनारायण 1/3 पर काबिज काश्त कर रहे है। ब्राह्म्णो का बडा कुंआ वाली जमीन को राधेश्याम, लक्ष्मीनारायण ने 1/3, 1/3 के अनुसार बंटवाडा कर लिया उसी अनुरूप तीनो भाई अपने हिस्से पर अलग-अलग काश्त कर रहे है। रेस्पोडेन्ट वादी ने लागोटी वाले खेत पर गत 40 वर्षो से अलग-अलग व्यक्तियो से काश्त कराई। 20 साल तक धन्नालाल ने खेती की है उसके बाद 5-6 साल तक घासी धाकड ने व 5-6 वर्ष राधेश्याम धाकड ने खेती की है। अभी गत 5-6 वर्षो से रामस्वरूप धाकड लागोटी वाले खेत पर राधेश्याम रेस्पोडेन्ट वादी के हिस्से आई 2/3 जमीन पर पांती से काश्त कर रहा है। अभी रेस्पोडेन्ट वादी ने ब्राह्णो के बडे कुए वाली जमीन जिसके आराजी नम्बर 539, 542 है अपने 1/3 हिस्से पर लक्ष्मीनारायण की पुत्र वधु जमना शर्मा को विक्रय की है जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी रमेश चन्द नाराज हुआ जबकि रेस्पोडेन्ट वादी को जमीन बेचने से पूर्व अपीलान्ट रमेश चन्द को जमीन खरीदने के लिये कहा था लेकिन उसने जमीन लेने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने बडे भाई लक्ष्मीनारायण की पुत्र वधु को यह जमीन विक्रय की। अपीलान्ट प्रतिवादी रमेश चन्द अब लागोटी वाले खेत पर कब्जा करना चाह रहा है जिससे उसने एलानिया धमकी दी कि मै लागोटी वाले खेत पर कब्जा करके रहूँगा। मै किसी पारिवारिक बंटवाडे को नही मानता हूँ। अपीलान्ट प्रतिवादी की यह धमकी देने से यह दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट वादी ने मौजा एकलिंगपुरा की आराजी नम्बर 376, 381, 382 मे अपीलान्ट प्रतिवादी का नाम हटाने की घोषणा चाही व रेस्पोडेन्ट वादी का 2/3 हिस्सा व लक्ष्मीनारायण के 1/3 हिस्से की घोषणा चाही व उसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलान्ट प्रतिवादी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। व दिनांक 30.07.2013 को जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर रेस्पोडेन्ट वादी ने दिनांक 28.04.2014 को काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया। व दिनांक 14.05.2014 को प्रतिवादी सं. 2 पैरोकार सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ व पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात के विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट एकलिंगपुरा मे नियत की गई। जिसमे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए आदेश पारित किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत है जो इस न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को बहस मे दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये दिनांक 16.05.2016 को कैम्प कोर्ट एकलिंगपुरा मे नियत की गई व दिनांक 14.06.2016 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट एकलिंगपुरा मे नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के निर्णय व आदेश पारित किया। अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने बहस मे निवेदन किया कि लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे उभय पक्षकारान राजीनामे के अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते है व उभय पक्षकारान लिखित मे राजीनामा उभय पक्षकारान प्रस्तुत करते है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट प्रतिवादी ने अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रखा था। जिसमे पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत थी। बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत के तहत रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र निर्णित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे पारित किया है कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है जो उभय पक्षकारान के राजीनामे के अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण करने के लिये सक्षम माना गया है। हस्तगत प्रकरण मे बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र निर्णित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व आदेश पारित किया है वह विधिनुसार है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने मौजा एकलिंगपुरा की आराजी नम्बर 376,381,382 रकबा क्रमशः 1.14, 1.46 व 0.87 हेक्टेयर भूमि मे अपीलान्ट रमेशचन्द प्रतिवादी का हिस्सा विलोपित किया व मौजा मोहना की आराजी नम्बर 464, व 466 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर भूमि मे राधेश्याम पिता चतरर्भुज रेस्पोडेन्ट का हिस्सा विलोपित किया है। शेष आराजीयात बदस्तुर कायम रखी गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय का निर्णय विधिनुसार है। अपीलान्ट प्रतिवादी ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अपनी बहस के समर्थन मे डीएनजे 2021 पार्ट-1 (एससी) पेज 337, आरआरटी 2012 पार्ट-1 पेज 579, व आरआरटी 2012 पार्ट-1 पेज 227, प्रस्तुत कर अवलोकन करवाया गया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। व रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी ओर से काउन्टर क्लेम का दिनांक 14.05.2014 को जवाब प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात नियत की गई थी। उक्त पत्रावली को लोक अदालत मे नियत किया जाकर अपरिपक्व पत्रावली को बिना राजीनामे के लोक अदालत मे नियत की जाकर लोक अदालत के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व पत्रावली मे विधिक प्रक्रियाओ का अवहरण कर निर्णय पारित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त जो प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते समय अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपरिपक्व पत्रावली मे बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के निर्णय पारित किया गया है जो संहवनीय नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 31/2013 रेवेन्यू वाद निर्णय व आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे दावा जवाबदावा एवं अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार आदेश 14 नियम 5 जाप्ता दिवानी के अनुसार तनकियात विरचित की जाकर उक्त तनकियात पर उभय पक्षकारान की साक्ष्य व सबुत लिया जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी के अनुसार तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना) 31/5/2022
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)